

Order Sheet [Contd]

Case No 225/2017 बी.ए

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
24.06.2017	<p>आवेदक/अभियुक्त आकाश की ओर से श्री एम0एस0 यादव अधिवक्ता। राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक। अधीनस्थ जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय गोहद से मूल अभिलेख प्र0क्र0 158/17 पुलिस थाना गोहद वि0 आकाश प्राप्त।</p> <p>आवेदक/आरोपी की ओर से अधि. श्री एम0एस0 यादव द्वारा द्वितीय नियमित जमानत आवेदनपत्र प्रस्तुत कर प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र दिनांक 13.04.17 को वल न देने से निरस्त होना व्यक्त किया है।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत आवेदनपत्र में इस आशय का निवेदन किया है कि प्रकरण में अभियोगपत्र प्रस्तुत किया जा चुका है एवं सहआरोपी पूरन की जमानत माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के एम.सी.आर.सी. क्रमांक 4749/17 में आदेश दिनांक 12.05.17 को स्वीकार की जा चुकी है। आवेदक का अपराध जमानत पाए आरोपी से भिन्न नहीं है। आरोपी तीन माह से अधिक समय से अभिरक्षा में है। प्रकरण में समय लगने की संभावना है। आवेदक जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा। अतः उचित प्रतिभूति पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना की है।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। केश डायरी का अवलोकन किया गया।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक वल दिया है कि आवेदक/अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है। प्रकरण के सहआरोपी पूरनसिंह को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत पर मुक्त कर दिया है। अतः आवेदक/अभियुक्त को भी समानता के आधार पर जमानत पर मुक्त किये जाने का निवेदन किया है।</p> <p>प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि आवेदक/अभियुक्त पर सहआरोपी के साथ बेट्टी रिपेयरिंग की दुकान पर बेट्टी चोरी करने का आरोप है। प्रकरण के सहआरोपी पूरनसिंह को माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा एम.सी.आर.सी. क्रमांक 5400/17 में पारित आदेश दिनांक 25.05.2017 के द्वारा जमानत पर मुक्त किये जाने के आदेश प्रदान किए गए हैं। आवेदक/अभियुक्त का मामला जमानत पाए सहआरोपी से भिन्न नहीं है। प्रकरण में यह परिवर्तित परिस्थितियाँ हैं। अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त</p>	

आदेश को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त भी समानता के आधार पर जमानत पर मुक्त होने का पात्र है।

परिणामतः आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र स्वीकार कर आदेश किया जाता है कि यदि उसकी ओर से संबंधित क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट की संतुष्टि योग्य 60,000/- रुपये की सक्षम जमानत और इतनी ही राशि का व्यक्तिगत वंधपत्र निम्न शर्तों के अधीन पेश हो तो जमानत पर छोड़ा जाए।

शर्तें—

1. आवेदक/अभियुक्त प्रत्येक तिथि दिनांक को न्यायालय में उपस्थित रहेगा।
 2. इस प्रकार का कोई अन्य अपराध नहीं करेगा।
 3. साक्ष्य को प्रभावित प्रलोभित नहीं करेगा।
- आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख संबंधित क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट को वापस किया जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
अपर सत्र न्यायाधीश गोहद
जिला— भिण्ड म0प्र0